

::विज्ञापितः

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण सम्मल स्थित चन्दौरी में प्रस्तुतकर्ता के पद के लिए उ0प्र0 शासन द्वारा पूर्णकालिक स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति से पद भरे जाने तक के लिये उ0 प्र0 शासन के शासनादेश संख्या 1324/तीरा-3-2019 परिवहन अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 26.07.2019 एवं उ0 प्र0 शासन के शासनादेश संख्या 878/तीरा-3-2019 परिवहन अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 09.03.2019 व उ0 प्र0 शासन के शासनादेश संख्या एम0 ए0सी0टी0-73/30-3-2020 परिवहन अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 25.02.2020 व माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पत्र संख्या 15385 / 2022 / एडमिन जी-1 / इलाहाबाद दिनांक 30.11.2022, पत्र संख्या 15907 / 2022 / एडमिन जी-1 रौवशन / इलाहाबाद दिनांकित 12 दिसम्बर 2022 एवं परिपत्र संख्या 14 / एडमिन डी रौवशन, दिनांकित 15.10.2022 के प्रकाश में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण सम्मल स्थित चन्दौरी में विभिन्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत सेवा निवृत्त जिला न्यायालय कर्मी में से प्रस्तुतकार की पुनर्नियुक्ति की जानी है।

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण सम्मल स्थित चन्दौरी में वर्तमान में कार्यरत प्रस्तुतकर्ता दिनांक 31.07.2024 को 65 वर्ष की आयु पूर्ण करने के उपरान्त सेवा निवृत्त हो जायेंगे जिसके फलस्वरूप प्रस्तुतकर्ता के पद पर जिला न्यायालय से सेवानिवृत्त ऐसे कर्मी की पुनर्नियुक्ति की जानी है, जिसने जनपद न्यायालय में कार्य किया हो तथा जिसे सिविल न्यायालय में कार्य करने का अच्छा अनुभव रहा हो।

उपरोक्त शासनादेशों के अनुसार उपरोक्त नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई व्यवस्था के तहत संविदा के रूप में की जायेगी और यह शासन स्तर पर प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानान्तरण से पद भरे जाते ही या संबन्धित नियुक्त कर्मचारी के कार्य एवं आचरण संतोषजनक न होने की स्थिति में नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जायेगी।


अतः उपरोक्त परिपत्रों के अन्तर्गत उक्त पद पर पुनर्नियुक्ति हेतु जिला न्यायालय कर्मियों से सेवानिवृत्त सक्षम एवं सगी अर्हताएँ रखने वाले कर्मियों से, निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

शर्तें एवं प्रतिबन्धः-

9. पुनर्नियुक्ति के दिनांक को सेवानिवृत्त कर्मी की आयु 65 वर्ष से अनधिक होनी चाहिये।
10. यह पुनर्नियुक्ति, पुनर्नियुक्त सेवानिवृत्त कर्मी के 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने, अथवा प्रतिनियुक्ति या सीधी भर्ती से उक्त उपलब्ध रिक्तियों के भरे जाने तक, जो भी पूर्व हो तक के लिए की जायेगी।
11. अस्थाई रूप से संविदा कर्मचारी को उपरोक्त शासनादेशों के अनुसार अंतिम आहरित वेतन में से शुद्ध पेंशन की धनराशि (राशिकरण के पूर्व यदि कोई हो) को घटाने पर प्राप्त होने वाली राशि के बराबर वेतन देय होगा। अतएव आवेदक सेवा निवृत्त कर्मी अपने आवेदन-पत्र के साथ पेंशन प्राधिकार-पत्र/पी0पी0ओ0 की स्वहस्ताक्षरित छाया प्रति संलग्न करेंगे।
12. यह पुनर्नियुक्ति, सेवानिवृत्त कर्मी के पूर्व कार्यवृत्त अभिलेख एवं चरित्र-पंजिका में अंकित वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि व व्यक्तिगत साक्षात्कार में उपयुक्तता एवं वरीयता के आधार पर की जायेगी। अतएव जिला न्यायालयों से सेवानिवृत्त आवेदक/सेवानिवृत्त कर्मी अपने आवेदन-पत्र के साथ पूर्ववर्ती 05 वर्षों में चरित्र पंजिका में अंकित वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि की स्वहस्ताक्षरित छाया प्रति संलग्न करेंगे।
13. इस पुनर्नियुक्ति हेतु सेवा निवृत्त कर्मी अपने आवेदन पत्र के साथ इस आशय का नोटरी शपथ-पत्र कि उनके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई आपराधिक वाद लम्बित नहीं है और न ही कभी उन्हें किसी आपराधिक मामले में दण्डित अथवा दोषमुक्त किया गया है, संलग्न करेंगे।
14. इस पुनर्नियुक्ति हेतु इच्छुक सेवा निवृत्त कर्मी अपना आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर दिनांक 24.07.2024 के सायंकाल 4.00 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण सम्मल स्थित चन्दौरी के आशुलिपिक कार्यालय को प्राप्त करा सकते हैं। निर्धारित दिनांक एवं समय के उपरान्त कोई आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

15. उपरोक्त शासनादेश मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण सम्मल स्थित चन्दौसी के लेखाकार के पास इच्छुक अभ्यर्थियों को अवलोकनार्थ उपलब्ध हैं।
16. आवदेक अपने मूल परिपत्रों सहित व्यक्तिगत साक्षात्कार हेतु दिनांक 26.07.2024 को सायं 4.30 बजे समिति के समक्ष मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण सम्मल स्थित चन्दौसी के विश्राम कक्ष में उपस्थित होंगे। कोई पृथक से सूचना प्रेषित नहीं की जायेगी।


दिनांक: 08.07.2024  
स्थान-चन्दौसी।

  
(प्रदीप कुमार-V)  
पीठासीन अधिकारी  
नियुक्ति प्राधिकारी/मोटर दुर्घटना दावा  
अधिकरण सम्मल स्थित चन्दौसी।

**प्रतिलिपि-**

1. नोडल अधिकारी, कम्प्यूटर, जजशिप, सम्मल स्थित चन्दौसी को माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की अधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 2-जिला सूचना अधिकारी जनपद सम्मल को दैनिक समाचार पत्रों में निशुल्क प्रकाशित कराने हेतु प्रेषित।
- 3-सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), सम्मल, सचिव/संयोजक, जिला स्तरीय चयन समिति जनपद-सम्मल को सूचनार्थ एवं आ0का0 हेतु प्रेषित।

दिनांक: 08.07.2024  
स्थान-चन्दौसी।

  
(प्रदीप कुमार-V)  
पीठासीन अधिकारी  
नियुक्ति प्राधिकारी/मोटर दुर्घटना दावा  
अधिकरण सम्मल स्थित चन्दौसी।

**:: आवेदन का प्रारूप :**

स्व हस्ताक्षरित  
पासपोर्ट साइज  
का नवीनतम् फोटो  
चस्पा करें।

.....पद हेतु आवेदन पत्र

- 1-आवेदक का नाम:
- 2-पिता का नाम :
- 3-जन्म तिथि :
- 4-आवेदन के दिनांक को आयु:
- 5-अन्तिम धारित पद एवं वेतनमान:
- 6-सेवा निवृत्ति का दिनांक:  
(पेंशन प्राधिकार-पत्र./पी.पी.ओ. की स्वहस्ताक्षरित  
छाया प्रति संलग्न करें)
- 7-स्थायी पता:
- 8-पत्राचार का पता:
- 9-ई-मेल आईडी0 .....
- 10-मोबाइल नम्बर.....
- 11-जिला न्यायालय से सेवा निवृत्त आवेदक की पूर्ववर्ती 05 वर्षों की  
गोपनीय प्रविष्टि का विवरण :  
(स्वहस्ताक्षरित छाया प्रति संलग्न करें)
- 12-क्या किसी न्यायालय द्वारा कोई प्रतिकूल टिप्पणी की गयी है, यदि हां  
तो विवरण:  
(नोटरी शपथ-पत्र संलग्न करें)
- 13-आधार नम्बर (स्व हस्ताक्षरित छाया प्रति संलग्न करें).....
- 14-पैन नम्बर (स्व हस्ताक्षरित छाया प्रति संलग्न करें) .....

दिनांक:

(आवेदक के हस्ताक्षर)

**:: घोषणा पत्र::**

मैं प्रमाणित करता हूँ कि वर्तमान में पूर्ण रूप से स्वस्थ और दिये जाने वाले राजकीय कार्य को करने में सक्षम हूँ। मैंने आवेदन सम्बन्धी सभी शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अवलोकन कर लिया है, जो मुझे स्वीकार है। आवेदन में अंकित समस्त विवरण तथा संलग्नक सही एवं सत्य हैं तथा मेरे द्वारा कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है। यदि कोई सूचना गलत या झूठी पाई जाती है, तो उसका पूर्ण दायित्व मेरा होगा और इस सम्बन्ध में मेरे विरुद्ध की गयी कोई कार्यवाही मुझे स्वीकार होगी।

दिनांक:

(आवेदक के हस्ताक्षर)